न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 132/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम बालोतरा जरिये कार्यकारी सदस्य श्री करनाराम पुत्र श्री केसाराम जाति वाल्मिकी निवासी बालोतरा		1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा। 2. नायब तहसीलदार जसोल।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत,अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 05.01.2023

01. संक्षेप में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट ग्राम बालोतरा की खसरा संख्या 572 की भूमि में अवस्थित है, खसरा संख्या 572 पूर्व में रूपाराम पुत्र गणेशराम व श्रीमति गेती देवी पत्नि रूपाराम जाति माली निवासी बालोतरा के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि रही है। जिनके द्वारा उक्त भूमि काफी वर्षों पूर्व अपनी स्वैच्छा से वाल्मिकी समाज बालोतरा को भेंट की गई। वक्त भेंट से आदिनांक तक वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट का बिना दखल हस्तक्षेप उपयोग,उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त भूखंड लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है,औन न उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:47 IST
Reason: SelfAttested

विवेक व्यास
5.1.2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

529,747,870,950,1106,1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकंन करते हुए प्रार्थी के भूखण्ड को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। जबकि विवादित भूमि/भूखण्ड खसरा नम्बर 572 में अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में हो रखें गलत इन्द्राज को निरस्त करवाते हुऐ,विवादित भूखण्ड/भूमि को खसरा संख्या 572 भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश कर प्रार्थी के आवेदन पत्र को [illegible] का निवेदन किया।

03. विवादित भूमि की मौका एवं रेकर्ड स्थिति [illegible] रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

04. प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में डी.बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 544/2020 के आदेश की फोटो प्रति,प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डी.बी सिविल मिस. एप्लीकेशन नं. 24/2020 की प्रति,छाया प्रति नामान्तरणकरण संख्या 447 की प्रति, छाया प्रति जमाबंदी खतौनी खाता संख्या 364 खसरा संख्या 572, प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.03.2007 को नगर पालिका में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, नगर पालिका बालोतरा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, प्रमाणित प्रति चालू जमाबंदी व नक्शा की फोटो प्रति पेश की गई।

05. उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि सरहद मौजा बालोतरा में स्थित लूणी नदी के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:47 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 कुल रकबा 1753.14 बीघा पर तथाकथित अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिशन संख्या 544/2020 प्रस्तुत की गई,जिस पर प्रार्थी द्वारा D.B Civil INTERLOCUTORY APPLICATION NO. 24/2020 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय की आदेश की पालना में हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया,कि प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट खसरा संख्या 572 में अवस्थित है, खसरा संख्या 572 पूर्व में रूपाराम पुत्र गणेशराम व श्रीमति गेती देवी पत्नि रूपाराम जाति माली निवासी बालोतरा के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि रही है जिनके द्वारा उक्त भूमि काफी वर्षों पूर्व अपनी स्वैच्छा से वाल्मिकी समाज बालोतरा को भेंट की गई। वक्त भेंट से आदिनांक तक वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट को बिना हस्तक्षेप उपयोग,उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त भूखंड लूणी नदी के ... के भीतर नहीं ... न उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकंन करते हुए प्रार्थी के भूखण्ड को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। इससे स्पष्ट है, कि प्रार्थी का श्मसान गृह परिसर वर्तमान रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 572 में अवस्थित है। लेकिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा समय–समय पर किये गये सर्वे में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित भूखण्ड श्मसान गृह परिसर को गै.मु.नदी में रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया,जो कि अंदिनाक तक रेकर्ड व नक्शा में विवादित भूमि का गलत अंकन इन्द्राज होता आ रहा है,जो कि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि मे होने के कारण रेकर्ड व राजस्व नक्शा दुरुस्ती योग्य है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि प्रार्थी का परिसर श्मसान घाट खसरा संख्या 572 में अवस्थित होने के उपरांत भी गैर–मुमकिन नदी में दर्शा दिया गया। राजस्व अधिकारीयों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से विवादित भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:47 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हितबद्व पक्षकारान को बिना सुनवाई के अवसर दिये खातेदारी स्वामित्व भूमि होने के उपरान्त भी विवादित श्मसान घाट को गैर मुमकिन नदी में इन्द्राज कर दी थी,जो कि सरासर गलत तथ्यो के आधार पर रेकर्ड इन्द्राज हुआ था। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट परिसर को खसरा संख्या 572 भूमि का भाग मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती करवाने का आदेश फरमाया जावें।

6.इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, प्रथम सेटलमेन्ट में जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी,जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में [illegible] में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया,तो नदी के बहाव [illegible] क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवातें हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट परिसर गैर मुमकिन नदी में निर्मित किया हुआ है,जो कि गैर कानूनी है। विवादित भूखण्ड खसरा संख्या 572 में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया,कि राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है,जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन–पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:47 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लक्ठ़ा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है। जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि प्रार्थी जिस भू–भाग पर काबिज होना बता रहे है,गत सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 293 गैर मुमकिन नदी है एवं वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसर भी खसरा नम्बर 1741/982 गैर मुमकिन नदी है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

7.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और [illegible] एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता–पूर्वक अवलोकन किया। [illegible] के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136, आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन–पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही गई है,कि प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट परिसर खसरा संख्या 572 में स्थित है,मौके की स्थिति अनुसार प्रार्थी के परिसर के आस–पास बने हुए निर्मित परिसर भी नगरपालिका की भूमि में है। लेकिन प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट नगरपालिका की भूमि में होने के उपरांत भी सेटलमेन्ट विभाग के राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट परिसर नगरपालिका भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई। जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्द्राज चला आ रहा है,जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट को खसरा संख्या 572 भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शें में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जबकि प्रार्थी जिस भू–भाग पर वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट परिसर

5.1.2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:47 IST
Reason: SelfAttested

होना बता रहा है,वह गत सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 293 किस्म गैर मुमकिन नदी में आता है,इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि/भूखण्ड गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है,जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1955 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेन्ट भी सन् 1967 में हुआ था। तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड संधारण किया था,जो कि विवादित भूखण्ड आबादी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है,कि प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का हकदार प्रार्थी नहीं होता है,क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक तक रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेन्ट को हुए लगभग 65 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, के बाद द्वितीय सेटलमेन्ट भी हो चुका हैं। इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा विवादित [illegible] के [illegible] संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई,इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद [illegible] नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर नगरपालिका बालोतरा के खसरा नम्बर 572 में है। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किया है,कि प्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर नगर परिषद खसरा संख्या 572 भूमि में आती है,यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है,इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में भूप्रबंध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प./14/(28)(1)/भू.अ.। रा.प्र./2018/5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भूप्रबंध विभाग कि संयुक्त टीम गठित कर गत भूप्रबन्ध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 293 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:47 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भाग होना बताया गया है,जो तत्समय प्रचलित भूप्रबन्ध के रैकर्ड के अनुसार गैर–मुमकिन नदी थी। इससे स्पष्ट साबित होता है कि प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट परिसर गैर–मुमकिन नदी का ही भाग है। अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि आवेदन–पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती योग्य हों। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.1.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

5.1.2023
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:47 IST
Reason: SelfAttested